

21 01 / 2020

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक नारायण देवगम, पिता-स्व० माड़की देवगम, ग्राम-डोंकासाई, थाना-मुफ्फसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-तिरिलबासा, थाना-122, खाता नं०-16, प्लॉट नं०-511, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-जगमोहन मुन्दुईया, ग्राम-तुईबीर, थाना- मुफ्फसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है। पिता, दादा के मृत्यु पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-18, दिनांक 28.12.2019 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एवं अन्य कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-जगमोहन मुन्दुईया, ग्राम-तुईबीर, थाना- मुफ्फसिल के पास 8,00,000.00/- (आठ लाख) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफ्फसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक नारायण देवगम, पिता-स्व० माड़की देवगम, ग्राम-डोंकासाई, थाना-मुफ्फसिल, क्रेता मनोज कुमार मुन्दुईया, पिता-जगमोहन मुन्दुईया, ग्राम-तुईबीर, थाना-मुफ्फसिल के पास 8,00,000.00/- (आठ लाख) रुपये में मौजा-तिरिलबासा थाना-122, खाता नं०- 16, प्लॉट नं०- 511, रकवा-0.20 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....अनुमति.....दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	